



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/512

18.09.2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: 56 वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद संशोधित केंद्रीय जीएसटी दर और केंद्र शासित प्रदेश दर अनुसूची की अधिसूचना

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने 56 वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद कर योग्य वस्तुओं के लिए संशोधित सीजीएसटी दरें अधिसूचित कर दी हैं।

ये संशोधित दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी और इन्हें निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है:

<https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010436/ENG/Notifications>

संशोधित संघ शासित प्रदेश जीएसटी दरें निम्नलिखित लिंक से देखी जा सकती हैं:

<https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010443/ENG/Notifications>

हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने माल के लिए संशोधित केन्द्रीय एवं संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी दरों का संदर्भ लें तथा तदनुसार अपनी ईआरपी प्रणाली और अनुपालन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करें।

आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद
टीम प्लेक्सकौन्सिल